कार्यपालिक सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में बढोत्तरी हुई लेकिन पूँजीगत व्यय में बर्ष 2018–19 में घटोत्तरी हुई है। यद्यपि वर्ष 2018–19 के दौरान 2017–18 की तुलना में राजस्व प्राप्ति और पूँजीगत व्यय सकल रज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में मामूली कम हुआ, जहाँ पर उसी वर्ष राजस्व व्यय मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी बढ़ा।

कंडिका 1.1.1.

राज्य ने चौदहवें वित्त आयोग और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण/राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटा और राजस्व आधिक्य के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है । जबकि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात (21.42 प्रतिशत) 14$^{वें}$ वित्त आयोग की निर्धारित लक्ष्यों (18.40 प्रतिशत) से ज्यादा था

कंडिका 1.1.2

छत्तीसगढ़ शासन का प्राथमिक घाटा 2014–19 के दौरान ₹ 1,361 करोड़ से ₹ 6,281 करोड के बीच रहा, जो इंगित करता है कि गैर–ऋण प्राप्तियॉ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

कंडिका 1.1.2.2

संसाधन गतिशीलता

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 65,095 करोड़) पिछले वर्ष से ₹ 5,448 करोड़ (9.13 प्रतिशत) बढ़ी जो बजट अनुमानों (₹ 72,868 करोड़) से कम था।

राजस्व व्यय (₹ 64,411 करोड़) वर्ष 2017–18 के मुकाबले ₹ 8,181 करोड़ (14.55 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमानों (₹ 68,423 करोड़) से कम था।

पूँजीगत व्यय (₹ 8,903 करोड़) वर्ष 2017–18 के मुकाबले ₹ 1,098 करोड़ (10.97 प्रतिशत) तक घटा जो बजट अनुमानों (₹ 14,454 करोड़) से कम था।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अन्तर कम हो।*

कंडिका 1.1.1 तथा 1.1.3

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ और अनुशंसाओं का सारांशः

जेंडर बजट

महिलाओं के केंद्रित कार्यों के लिए विशेष रूप से 25 योजनाओं के लिए ₹ 5,266 करोड़ रूपये के बजट प्रावधानों में से केवल ₹ 3,257 करोड़ (61.84 प्रतिशत) खर्च किए गए थे।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को समय–समय पर जेंडर बजट जेंडर बजट सेल का कामकाजों की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सकें और वास्तविक खर्चे की जॉच के लिए अलग उप–शीर्ष और उद्देश्य–शीर्ष भी खोलना चाहिए।*

कंडिका 1.1.4

अपूर्ण परियोजनायें

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में 107 अपूर्ण परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3,687.60 करोड़) में से आज तक, 40 परियोजनाओं में ₹ 2,963.97 करोड़ लागत से अधिक खर्च हुये थे (जहाँ लागत को संशोधित किया गया) चूँकि राज्य शासन ने 67 अपूर्ण परियोजनाओं में लागत मूल्याकन नहीं किया है, राज्य शासन द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका।

अनुशंसाः *लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते है और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते है।*

कंडिका 1.8.2

निवेश, ऋण व अग्रिमों पर प्रतिफल

वर्ष 2014–19 के दौरान राज्य शासन ने सरकार द्वारा लिये गये उधार लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अन्तर के कारण ₹ 1,819.09 करोड़ का नुकसान वहन किया।

यह भी कि, विगत पाँच वर्षों में राज्य शासन ने सरकार द्वारा लिये गये उधार और दिये गये ऋण व अग्रिमों के बीच के अन्तर के कारण ₹ 44.10 करोड़ का नुकसान वहन किया।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को उन कंपनियों/निगमों/बैंक में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनके वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधारी लागत को भी पूरा नहीं करते है। इसी तरह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों के बराबर या उससे अधिक ब्याज दरों पर ऋण विभिन्न संस्थाओं के लिए उचित हो, जो कि सरकार उधार निधियाँ पर भुगतान करती है।*

कंडिका 1.8.3 एवं 1.8.4

रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष 2018–19 के दौरान प्रारंभिक रोकड़ शेष ₹ 6,408.91 करोड़ से बढ़कर अंतिम रोकड़ शेष ₹ 12,277.88 करोड हो गई, जिसमें ₹ 5,472.97 करोड की वृद्धि हुई। निवेश खाते में अधिशेष रोकड़ शेष राशि ₹ 9,759.02 करोड़ थी जबकि राज्य सरकार ने 2018–19 के दौरान ₹ 12,900.00 करोड का बाजार ऋण उठाया था । राज्य सरकार के पास मुख्य रूप से सार्वजनिक ऋण के तहत बाजार ऋण को बढ़ाने के कारण आधिशेष था । बडे रोकड़ शेष के निर्माण से राज्य सरकार के लिये ब्याज लागात का बोझ बढ़ जाता है । राज्य सरकार इसके साथ उपलब्ध अधिशेष रोकड़ की उपयोग करके अपने उधार और ब्याज के बोझ को कम कर सकती थी ।

अनुशंसा *: राज्य सरकार को नई उधारों का सहारा लेने से पहले अपने मौजूदा रोकड़ शेष का उपयोग करना चहिए।*

कंडिका 1.8.5

राज्य आपदा राहत निधि (रा.आ.रा.नि.)

मार्च 2019 को राज्य आपदा राहत निधि का अंतिम शेष ₹ 400.70 करोड़ था। दिसम्बर 2018 में भारत सरकार से राज्य आपदा राहत निधि से प्राप्त सहायता अनुदान

₹ 125.10 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 13.90 करोड राज्य आपदा राहत निधि में स्थानांतरित नही किया गया। जिसके कारण राजस्व अधिक्य को अधिक दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को राज्यांश के साथ–साथ भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश को राज्य आपदा राहत निधि में समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए तथा दिशा निर्देशों के अनुसार इस निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।*

कंडिका 1.9.4

संचित निक्षेप निधि

वर्ष 2018–19 के दौरान वर्ष मे छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹ 264.54 करोड़ (वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्व ₹ 52,907.08 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) वार्षिक अंशदान, निधि मे स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी, इसके बदले छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 100 करोड हस्तांतरण किया। राज्य शासन द्वारा ₹ 164.54 करोड़ का कम योगदान दिया गया, परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य अधिक और राजकोषीय घाटा कम दर्शाया गया।

अनुशंसाः *छत्तीसगढ़ शासन को 12$^{वें}$ वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ऋण मुक्ति हेतु आवश्यक राशि संचित निक्षेप निधि मे स्थानांतरित करना चाहिये।*

कंडिका 1.9.5

प्रत्याभूति की स्थिति–आकस्मिक दायित्व

मार्च 2019 के अंत तक ₹ 10,769.42 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 16.54 प्रतिशत थी। वर्ष 2018–19 के दौरान नई प्रत्याभूतियां ₹ 7,359.15 करोड की थी।

12$^{वें}$ वित्त आयोग के अनुशंसा के विपरीत, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि नहीं बनानेय का निर्णय लिया है ।

अनुशंसाः *राज्य शासन को 12$^{वें}$ वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन और संचालत करना चाहिए।*

कंडिका 1.9.6

ऑफ बजट दायित्व

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सरकारी अधिकारियों के 6,424 आवसीय घरों को बनाने के लिये एवं 728 फ्लेटों की खरीदी के लिए क्रमशः ₹ 401.64 करोड कनेरा बैंक से और ₹ 195.00 करोड़ इलाहाबाद बैंक से ऋण लिया । छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ऋण पर लगने वाले ब्याज और मूलधन को चुकाने का जिम्मेदरी लिया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड ने पुलिस अधिकारियों के लिए 10,000 आवासीय घरों के निर्माण के लिए इलाहाबाद बैंक से ₹ 143.76 करोड़ और केनरा बैंक से ₹ 60.95 करोड़ का ऋण लिया ।

इस प्रकार, ऋण का दायित्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ निहित हैं ना कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल तथा छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड के साथ परन्तु छत्तीगढ़ सरकार के खाते में दर्शाया नहीं गया । परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ सरकार के दायित्व को ₹ 801.35 करोड से कम आंका गया ।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को बजट में प्रकटीकरण विवरणों के माध्यम से ऑफ–बजट उधार का विवरण देना चहिए ।*

कंडिका 1.9.6.1

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर सर्मपण

वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बचत ₹ 29,437.08 करोड़ रहा, जिसमें से बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 353.09 करोड़ को कालातीत होने दिया गया। 31 मार्च 2019 को शेष बचत ₹ 29,083.99 करोड़ में से ₹ 23,389.20 करोड़ समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग का कोई संभावना नहीं रह गया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा खर्च की प्रवृत्ति की निगरानी करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रत्याशित बचत जल्द से जल्द समर्पण कर दी जाए ताकि धन का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।*

कंडिका 2.1

आधिक्य व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता है

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दो अनुदानों और चार विनियोजनों के तहत राज्य विधायिका द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹ 1.67 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संवितरण था। वर्ष 2000–01 से 2017–18 के लिए प्रावधानों पर ₹ 3,260.16 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अब भी (दिसम्बर 2019) नियमित नहीं किया गया है।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को अति शीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में अत्यन्त एवं चरम आपात स्थिति के मामले, जिनका व्यय केवल आकस्मिक निधि से पूरा किया जा सके, को छोड़कर इस तरह के व्यय को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए ।*

कंडिका 2.2.1

बचत

कुल ₹ 29,437.08 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 27,276.13 करोड़ की बचत 48 मामलों में 38 अनुदान और दो विनियोग के तहत हुई, जिसमें हरेक अनुदान/विनियोग में कुल ₹ 100 करोड़ राशि से अधिक की बचत हुई जो कि वर्ष के दौरान कुल बचत का 92.66 प्रतिशत है।

25 अनुदानों के तहत 32 प्रकरणों पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल प्रावधानों में से ₹ 20 करोड़ से अधिक की लगातार बचत हुई ।

कंडिका 2.2.4 एवं 2.2.5

व्यय की अतिवेग

इसके विपरीत 22 मुख्य शीर्षों में 2018–19 की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 9,213.94 करोड़ का व्यय हुआ, जो कि कुल व्यय ₹ 14,491.09 करोड़ का 63.58 प्रतिशत है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय के अतिवेग को नियत्रित करना चाहिए।*

कंडिका 2.2.12

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

वर्ष 2018–19 के दौरान, ₹ 9.80 करोड़ की राशि के आठ मामलों में से सात में व्यय आकस्मिकता निधि से आहरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता था क्योंकि ये व्यय अप्रत्याशित या आकस्मिक चरित्र के नहीं थे।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति के खर्च को छोड़कर आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया जाए ।*

कंडिका 2.3

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.)

दिनांक 30 दिसम्बर 2019 को, विभिन्न विभागों में वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान के विरूद्ध कुल ₹ 6,172.50 करोड़ के 477 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को बिना विलंब किये उपयोगिता प्रमाण पत्र के समय पर प्रस्तुत किये जाने से जुडी आंतरिक नियंत्रक तंत्र को सही करना चाहिए एवं नवीन अनुदान जारी करने के पहले सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाए ।*

कंडिका 3.1

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

राज्य सरकार नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उस अवधि में, जिसमे उनके लेखे 31 मार्च 2019 तक लंबित थे, ₹ 12,789.88 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान एवं आर्थिक सहायता) प्रदान की तथा दायित्व (प्रत्याभुति) स्वीकार किया । इन सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुये अपने विगत एक से चार वर्षों के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सभी सा.क्षे. उपक्रमों के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हो और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरूद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया है।*

कंडिका 3.4

हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन

विभिन्न विभागों में चोरी, सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि और गबन जैसे मामलों में निर्णायक जांच और निपटान के लिए ₹ 125.49 करोड़ की राशि लंबित थी।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए, तथा एसे प्रकरणों के पुर्नावृत्ति को रोकने/घटाने हेतु आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना चाहिये।*

कंडिका 3.5

व्यक्तिगत जमा खाते

मार्च 2019 तक 231 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 1,891.10 करोड़ पड़े रहें। कुल शेष की राशि ₹ 1,891.10 करोड़ में से भू–अर्जन की राशि ₹ 1,637.42 करोड़ संबंधित लाभार्थियों को वितरण न होने के कारण व्यक्तिगत जमा खाते में पड़ी रही।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा इस खाते में अनावश्यक पड़े हुए राशि शीघ्र ही संचित निधि में जमा करना सुनिश्चित करें।*

कंडिका 3.6

राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

व्यय तथा राजस्व में गलत प्रविष्टि/लेखन के कारण राजस्व आधिक्य में राशि ₹ 3,057.79 करोड़ की अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में राशि ₹ 1,054.04 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

कंडिका 3.8

लघु शीर्ष–800 में समायोजन

राजस्व प्राप्ति तथा व्यय में ₹ 2,749.90 करोड़ (44 मुख्य शीर्षों) और ₹ 1,033.96 करोड़ (47 मुख्य शीर्षों) वास्तविक शीर्षों के वर्गीकरण के बिना लघु शीर्ष–800 में दर्ज किया गया।

अनुशंसा: *वित्तीय विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लघु शीर्ष–800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करे एवं यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में उपर्युक्त लेखा शीर्ष में दर्ज हों।*

कंडिका 3.9

अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

31 मार्च 2019 की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा ₹ 16.15 करोड़ के अस्थायी अग्रिम मामलें समायोजन प्रमाणक के गैर संग्रहण के कारण समायोजन के लिए लंबित थे।

अनुशंसा: *अस्थायी अग्रिम के यथासमय समायोजन के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।*

कंडिका 3.10.2

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल उपलब्ध धन का केवल 33.79 प्रतिशत का उपयोग कर सका और 2018–19 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 52 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को लाभावित्त किया गया। वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 193.57 करोड के कुल व्यय में से बोर्ड द्वारा ₹ 166.98 करोड़ (86 प्रतिशत्) कल्याणकारी याजनाओं पर व्यय किया गया ।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत कर्मकार के लिए कार्यान्वित कल्याण योजनाओं पर अधिकतम राशि उपयोग में लाना सुनिश्चित करना चाहिए।*

कंडिका 3.11